

-: आदेश :-


उपरोक्त प्रार्थियों ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त प्रकार अभिलेख दुरस्ती हेतु निवेदन किया है एवं इसका दुरस्ती को करने हेतु सहमति लिखित में दी गयी है। उप तहसीलदार द्वारा भी सहमति व्यक्त की गई है। स्वतः दुरस्ती वस्तुतः लिपिकीय त्रुटि सुधार की संज्ञा में आती है। अंकित इन्द्राज दुरस्ती परस्पर सहमति से किये जाने हेतु प्रार्थियों ने प्रार्थना की है तथा अभिलेख के आधार पर भी उक्त इन्द्राज दुरस्ती राजस्व अभिलेख में होने योग्य है। अतः निम्नलिखित इन्द्राज दुरस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं :-

पूर्व इन्द्राज		स्वीकृत किया गया इन्द्राज					
1	2	3	4	5	6	7	8
क्र. सं.	खाता संख्या	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा
भुवनेश्वर	105	लालाशम पुत्र गीमाशम जाति पारु सा. देह खालेदार बहन वहस्तूर शीष वहस्तूर	608	0.03	लालाशम पुत्र गीमाशम जाति पारु सा. देह खालेदार बहन वहस्तूर शीष वहस्तूर	608	0.03
			609	0.01		609	0.01
			610	3.97		610	3.97
			3	4.01		3	4.01

385  
20.10.21

  
 शिवर प्रभारी  
 (अतिरिक्त जिला कलेक्टर, डीडवाना)  
 POKSA-2021, पं.स. मौलासर  
 दिनांक

उप तहसीलदार, मौलासर

  
 शिवर प्रभारी  
 (अतिरिक्त जिला कलेक्टर, डीडवाना)  
 POKSA-2021, पं.स. मौलासर  
 दिनांक

महाराज इत्यादि को भेजकर लेख है कि अन्य न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो निर्णयानुसार कार्य सुनिश्चित करें।

उप तहसीलदार, मौलासर